


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II- खण्ड 3-उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 271]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 25, 1972/कार्तिक 3, 1894

No. 271]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 1972/KARTIKA 3, 1894

एक भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 25th October 1972

G.S.R. 452(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the power to make orders under sub-section (1) of section 3 of the said Act, to provide for the prohibition of, or the imposition of restrictions on, the storage of foodstuffs shall be exercisable also by a State Government:

Provided that before making an order relating to the aforesaid matter, a State Government shall obtain the prior concurrence of the Central Government.

[No. 203(Genl.)(10)/88/72-PY-II.]

A. K. MAJUMDAR, Jt. Secy.

हृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 1972

सांका०नि० 452(अ).—प्रावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एटद्वारा निदेश देती है कि खाद्य-पदार्थ के अंशारकरण पर प्रतिषेध करने या निर्वनघन अधिरोपित करने हेतु उपबन्ध करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन आदेश बनाने की शक्ति राज्य सरकार द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी :

परन्तु राज्य सरकार, पूर्वोक्त विषय से सम्बन्धित आदेश बनाने के पूर्व केन्द्रीय सरकार की पूर्बिक सहमति अभिप्राप्त करेगी ।

[सं० 203(जनरल) (10)/88/72-पी वाई-II]

ए० के० मजूमदार, संयुक्त सचिव।